

CSS और राजकोषीय संघवाद

प्रलिस के लयः

[केंद्र प्रायोजति योजनारुँ \(CSS\)](#), [राजकोषीय संघवाद](#), [अनुच्छेद 282](#), [अनुच्छेद 270 और 275](#), [वतित आयोग](#), [वनियोग अधनियिम](#), [भारत की संचति नधि](#), [योजना आयोग](#), [नीतआयोग](#), [सातवी अनुसुची](#), [अंतर-राज्य परषिद](#) ।

मेन्स के लयः

केंद्र प्रायोजति योजनारुँ (CSS) और उनके कारयान्वयन से उत्पन्न मुदुे ।

[स्रोत: फाइनेंसयिल एक्सप्रेस](#)

चरुा में कयुँ?

केंद्र ने पछिले हसुतांतरणुँ से 1.6 लाख करोड रुपए की अपरयुक्त धनराशिए जाने के बाद, वर्ष 2025-26 के लयि राज्युँ को [केंद्र प्रायोजति योजनारुँ \(CSS\)](#) के लयि वयय में 91,000 करोड रुपए (योजनाुँ के लयि बजट अनुमान का 18%) की कटुती की है ।

- कई राज्युँ ने इस नरिणय को [राजकोषीय संघवाद](#) के वपिरीत बताया है और [अनुच्छेद 282](#) की वयवहारयता पर सवाल उठाए हैं ।

अनुच्छेद 282 कया है?

- परचयः यह संघ और राज्युँ दुनुनुँ को कसिी भी सार्वजनकि उदुदेश्य के लयि अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह उदुदेश्य उनकेवधायी कषुेत्राधिकार से बाहर हो ।
 - कर हसुतांतरण (अनुच्छेद 270 और 275) के वपिरीत, अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान वविकाधीन है और [वतित आयोग \(FC\)](#) की सफारशुँ से बाधय नरुँ है ।
 - प्रारंभ में अपरतयाशति आकसुमकितारुँ के लयि इसका उपयुग कया गया था, तथा बाद की केंद्र सरकारुँ ने इसका उपयुग CSS को लागू करने के लयि कया ।
 - अनुच्छेद 270 और 275 के अनुसार वतित आयोग संघीय कर राजसुव में राज्युँ का हसुसा नरिधारति करेगा ।
- नयायकि दृषुटकणः [\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]](#), 2010 में, [सरवुच्च नयायालय \(SC\)](#) ने FC सफारशुँ (अनुच्छेद 275) से परे भी, अनुच्छेद 282 के तहत वविकाधीन अनुदान प्रदान करने की केंद्र की शकुतुको बरकरार रखा ।
 - संसद की वधायी कषुमता से परे वषियुँ के लयि भी अनुदान दया जा सकता है, बशरुते कवै सार्वजनकि उदुदेश्य की पूरुतुकरते हुँ ।
 - [\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]\[2\]](#), 1955 का हवालर देते हुए, सरवुच्च नयायालय ने नरिणय दया कभारुत की संचति नधि (CFI) से वयय को अधकृत करने वाले [वनियोग अधनियिम](#), अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान को कानूनी रूप से उचति ठहराते हैं ।

CSS राजकोषीय संघवाद को कसुे चुनुती देतर है?

- वविकाधीन CSS वतितपोषणः अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य कसिी भी सार्वजनकि उदुदेश्य के लयि धन दे सकते हुँ, भले ही उनके पास इस पर वधायी अधकार न हो ।
 - नीतआयोग 2015 (पूरववर्ती योजना आयोग की तरह , जो संवैधानकि दरुजा न होने के बावजूद अनुदानुँ का मारुगदर्शन करता था), CSS डुजाइन को प्रभावति करना जारी रखता है ।
- राज्युँ की राजकोषीय सुवायतुतता का कषुरणः CSS में नधिउपयुग की शरुतु सखुत हुँ, जससे राज्युँ को सुथानीय आवशुकतरारुँ के अनुरूप उनुँहें अपनाने में लचीलापन सीमति हो जाता है ।
 - उदाहरण के लयि, [पोषण अभयान](#) के अंतरगत राज्य लकषुय समूहुँ या प्रमुख पोषण संकेतकुँ में परविरुतन नरुँ कर सकते ।
- संसाधन-वयय वषिमतराः 15वें वतित आयोग (2021-26) में इस तथुय पर प्रकाश डालर गया ककेंद्र के पास 63% संसाधन हुँ लेकनि इसके दवारर 38% वयय कया जाता है, जबकक राज्युँ के पास शेष 37% है लेकनि वे 62% वयय वहन करते हुँ ।

- इससे राज्यों की **CSS नधियों पर नरिभरता बढ़ जाती है** तथा राज्य-वशिष्ट पहलें सीमिति हो जाती हैं।
- **प्राथमकिता संबंधी मुद्दे:** CSS नधियों के लिये राज्यों को **समतुल्य अनुदान** उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जिससे इनके सनसाधनों का राज्य-प्राथमकिता वाले क्षेत्रों से इतर अन्य क्षेत्रों में वय हो जाता है।
- **सहकारी संघवाद के लिये खतरा:** संवधान सभा बहस के दौरान, **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने संघ और राज्यों के बीच समान भागीदारी पर ज़ोर दिया था लेकिन वविकाधीन CSS अनुदान पर अत्यधिक नरिभरता से **सहकारी संघवाद** का संवैधानिक अभिप्राय प्रभावति होता है।
 - उदाहरण के लिये, CSS दशिा-नरिदेशों में **केंद्रीय नेतृत्व** को उजागर करने और केंद्रीय नयितरण को मज़बूत करने के लिये **“ब्रांडिंग”** को अनविर्य कया गया है।
- **संघ की नीतियों का वसितार:** राज्यों को नयितरति करने के लिये **राजनीतिक साधन** के रूप में CSS का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
 - उदाहरण के लिये, वतित मंत्रालय के वरष **2022 के दशिा-नरिदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों में वनिविश के इच्छुक राज्यों के लिये 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** शामिल था, जिसका कई राज्यों ने वरिध कया था।
- **CSS फंडिंग का प्रसार:** CSS फंड रल्लिज़ वरष 2014-15 में कुल अंतरण के **7.5% से बढ़कर वरष 2022-23 में 47% हो गया**, जिससे वतित आयोग द्वारा अनुशंसति हस्रतांतरण में कमी आई।
 - **संवधान की सातवीं अनुसूची** के वपिरति, कई CSS का कार्यक्षेत्र **राज्य सूची** के अंतरगत आने वाले क्षेत्रों में वसितारति है, जिससे राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण होता है।

केन्द्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

- **परचिय:** CSS को केंद्र और राज्यों द्वारा **संयुक्त रूप से वतित पोषति** कया जाता है, **राज्यों द्वारा कार्यानवति कया जाता है** और इसके तहत संवधान की **राज्य और समवर्ती सूचियों** के अंतरगत क्षेत्रों को कवर कया जाता है।
 - चूँकि **केंद्र सरकार के पास अधिक वतिततीय संसाधन** हैं इसलिये इन योजनाओं से **राज्य सरकारों के प्रयासों को अतरिकित सहायता** मलति है।
 - राज्यों को केंद्रीय सहायता योजनाओं के लिये सभी अंतरण **राज्य की समेकति नधि** के माध्यम से कयि जाते हैं।
- **प्रकार:** CSS को **तीन मुख्य श्रेणियों** में वभिजति कया गया है:
 - **कोर ऑफ द कोर स्कीम:** ये योजनाएँ सामाजिक समावेशन और संरक्षण के लिये **सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण** हैं। उदाहरण के लिये, **मनरेगा**।
 - **कोर स्कीम:** ये योजनाएँ **कृषि, बुनयादी ढाँचे, शकिषा, स्वास्थ्य और ग्रामीण वकिस** जैसे **वभिन्न वकिसात्तमक क्षेत्रों पर केंद्रति** हैं।
 - उदाहरणार्थ, **मध्यानह भोजन योजना** (स्कूल पोषण कार्यक्रम), **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (ग्रामीण सड़कें) आदि।
 - **ऑप्शनल स्कीम:** इसके अंतरगत राज्य अपनी इच्छानुसार योजनाओं का चयन कर सकते हैं।
 - उदाहरण: **सीमा क्षेत्र वकिस कार्यक्रम** आदि।
- **वतितपोषण स्वरूप:** केंद्र अपने बजट का लगभग **12% CSS को आवंटति करता है**, जिसमें **वभिन्न केंद्र-राज्य अनुपातों** में वतितपोषण साझा कया जाता है:
 - 60:40 (अधिकांश योजनाएँ)
 - 80:20 (वशिष योजनाएँ)
 - 90:10 (पूरवोत्तर एवं वशिष श्रेणी राज्यों के लिये)
- **केंद्र प्रायोजति और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के बीच अंतर:**

वशिषता	केंद्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS)	केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ
कार्यानवयन	राज्य सरकारों द्वारा	केंद्र सरकार द्वारा
वतितपोषण स्रोत	साझा वतितपोषण (केंद्र एवं राज्य)	केंद्र द्वारा पूरणत: वतितपोषति
उदाहरण	MGNREGA, PMAY, स्वच्छ भारत मशि	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशि, PM-कसिन

आगे की राह

- **अनुच्छेद 282 पर न्यायिक स्पष्टता:** सर्वोच्च न्यायालय को **यह मूल्यांकन करना चाहिये** कि क्या **CSS से संघीय संतुलन** पर प्रभाव पड़ता है तथा उन वशिष परसिथतियों को स्थापति करना चाहिये जिनके अंतरगत **वविकाधीन अनुदानों** का उपयोग कया जा सकता है।
- **CSS का युक्तिकरण: समान CSS को प्रभावी अमबरेला योजनाओं** में वलिय करने के साथ अप्रभावी योजनाओं को समाप्त करने के क्रम में **नयिमति प्रभाव आकलन** करना चाहिये।
- **वतितपोषण तंत्र की समीक्षा:** राज्यों के वतिततीय बोझ को कम करने के क्रम में **नधि-साझाकरण पैटर्न** को संशोधति (वशिष रूप से **सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये**) करना चाहिये और **पछिड़ा क्षेत्र अनुदान नधि (BRGF)** बंद होने के बाद पछिड़े क्षेत्रों के लिये समर्थन को बहाल करना चाहिये।
- **सहकारी संघवाद को मज़बूत करना:** अंतर-राज्य परषिद और नीतियायोग के माध्यम से नयिमति **केंद्र-राज्य परामर्श** पर ध्यान देना चाहिये तथा **राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार CSS को अनुकूलति करने** में अधिक लचीलापन प्रदान करना चाहिये।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजकोषीय संघवाद पर केंद्र प्रायोजति योजनाओं (CSS) के प्रभाव की चर्चा कीजिये। अनुच्छेद 282 के तहत वविकाधीन अनुदान, राज्यों

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, 2017 के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह एक दशक में हमारे देश के प्रत्येक शहर को स्मार्ट सटि के रूप में वकिसति करने के लयि केंद्र-प्रायोजति योजना है ।
2. यह हमारे देश के समक्ष आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लयि नई डजिटिल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने की एक पहल है ।
3. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देन को पूरी तरह से डजिटिल बनाना है ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: B

??????

प्रश्न: भारत के 14वें वतित्त आयोग की सफिरशियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में किस प्रकार सक्षम बनाया है? (2021)

प्रश्न: हाल के वर्षों में सहकारी परसिंघवाद की संकल्पना पर अधकिधकि बल दयि जाता रहा है । वदियमान संरचना में मौजूद असुवधियों के बारे में बताते हुए सहकारी परसिंघवाद किस सीमा तक इन असुवधियों का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालें । (2015)

